कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश 15 /1-12(S)(HRD) देहरादून दिनांक 25 अगस्त, 2021

निस्तारण आदेश

इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप 1702/1–12(HRD), दिनांक 15.06.2021 द्वारा दिनांक 01.07.2021 की स्थिति पर आधारित वन क्षेत्राधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी थी। जिस पर सीधी भर्ती के वन क्षेत्राधिकारियों द्वारा चयन वर्ष 2014–15 (दिनांक 28.10.2015) के पदोन्नत वन क्षेत्राधिकारियों की वरिष्ठता पर आपत्ति की गई है। समस्त प्रत्यावेदनों की सूची व सारांश संलग्न है।

1. ऐसे प्रत्यावेदन जिसमें वनादेश संख्या 73/1–12(5), दिनांक 28.10.2015 से पदोन्त कार्मिकों की वरिष्ठता पर आपत्ति की गई है, के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग द्वारा पदोन्नत कार्मिकों के चयन की संस्तुति चयन वर्ष 2014–15 के सापेक्ष की गई थी, जिसका उल्लेख DPC के कार्यवृत्त तथा पदोन्नति आदेश में भी है। इस स्थिति को पुनः स्पष्ट करने हेतु संशोधित पदोन्नति आदेश इस कार्यालय के वनादेश संख्या 60/1–12(HRD), दिनांक 05.05.2021 द्वारा की गई है। तदनुसार पदोन्नत कार्मिकों का चयन वर्ष तथा सीधी भर्ती के कार्मिको का नियुक्ति वर्ष 2014–15, भर्ती वर्ष एक ही है। जिस कारण उत्तरांचल राज्य सरकारी सेवक नियमावली 2002 के बिन्दु 8(3) के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की गई है।

2. ऐसे प्रत्यावेदन जिसमें ज्ये0 क्र0–64 (श्री देवेन्द्र सिंह), ज्ये0 क्र0–66 (श्री सुधीर कुमार) एवं ज्ये0 क्र0–77 (श्रीमती सावित्री गिरी), की वरिष्ठता पर आपत्ति की गई है, के क्रम में अवगत कराना है कि ज्ये0 क्र0–66 (श्री सुधीर कुमार) एवं ज्ये0 क्र0–77 (श्रीमती सावित्री गिरी) द्वारा प्रतिकूल कारणों से समय वृद्धि हेतु अनुरोध किया था जिसके क्रम में उनको प्रमुख वन संरक्षक के अनुमोदन द्वारा समय–वृद्धि दी गयी थी। इस कारण बाद में नियुक्त होने के फलस्वरूप भी उनको उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग से प्राप्त परिणाम के आधार पर वरिष्ठता प्रदान की गई है।

ज्ये0 क्र0–64 (श्री देवेन्द्र सिंह) की ज्येष्ठता के क्रम में अवगत कराना है कि श्री देवेन्द्र सिंह को अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 3137/X–1–2015–04(28), दिनांक 16.09.2015 द्वारा उ0लो0से0आयोग के पत्र संख्या–198/01/ई0–1/2006–07 दिनांक 01.09.2015 की संस्तुति के क्रम में निर्धारित की गई है।

तदनुसार उपरोक्त समस्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया जाता है। यह आदेश मा0न्यायालय में योजित रिट याचिका एस0बी0 182/2021 एवं रिट याचिका एस0बी0 361/2020 में मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजीव भरतरी)
प्रमुख वन संरक्षक, HoFF
उत्तराखण्ड,देहरादून।

संख्या 377 /1-12(S)/तददिनांकित।

प्रतिलिपि
1. मुख्य वन संरक्षक, निगरानी मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को अविलम्ब विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून को अन्तिम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त वन क्षेत्राधिकारी, (प्रत्यावेदन कर्ता), उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव भरतरी)
प्रमुख वन संरक्षक, HoFF
उत्तराखण्ड, देहरादून।

I.T.C.C.
प्र. अपलोड करें
पेश करें
25/8

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के पत्रांक 1702/1–12(5)HRD, दिनांक 15.06.2021 द्वारा दिनांक 01.07.2021 की स्थिति पर आधारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर प्राप्त प्रत्यावेदन

क्र.सं.	प्रभाग / कार्यालय का नाम	वन क्षेत्राधिकारी का नाम	प्रत्यावेदन का कारण
1	पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड	श्री अनिल कुमार जोशी	वनादंश संख्या 73/1–12(5), दिनांक 28.10.2015 से पदोन्नत कार्मिकों के सापेक्ष वरिष्ठता पर आपत्ति करते हुये वरिष्ठता उत्तरांचल राज्य सरकारी सेवक नियमावली 2002 के बिन्दु 8(1) व उत्तराखण्ड वन क्षेत्राधिकारी नियमावली 2010 के बिन्दु 22 के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित करते हुये पूर्व की भाति वरिष्ठता जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है।
2	उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड	श्री सुनील कुमार	
3	शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड	श्री किशोर कुमार नौटियाल	
4	राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड	श्री अनिल कुमार पैन्यूली	
5	देहरादून वन प्रभाग	श्री विनोद चौहान	
6	देहरादून वन प्रभाग	श्री उदय नन्द	
7	भू0सं0व0प्र0 कालसी	श्रीमती पूजा रावल	
8	भू0सं0व0प्र0 लैन्सडौन	श्री प्रशान्त हिन्दवान	
9	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	श्रीमती ममता चन्द	
10	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	श्री विशन लाल आर्या	
11	गढ़वाल वन प्रभाग	श्रीमती राखी जुयाल	
12	कार्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड	श्री संदीप गिरि एवं श्री बिन्दर पाल	दिनांक 28.10.2015 से पदोन्नत कार्मिकों के सापेक्ष वरिष्ठता पर आपत्ति करते हुये वरिष्ठता उत्तरांचल राज्य सरकारी सेवक नियमावली 2002 के बिन्दु 8(1) व उत्तराखण्ड वन क्षेत्राधिकारी नियमावली 2010 के बिन्दु 22 के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित करते हुये पूर्व की भाति वरिष्ठता जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही सीधी भर्ती के वन क्षेत्राधिकारी ज्ये0 क्र0–64 (श्री देवेन्द्र सिंह), ज्ये0 क्र0–66 (श्री सुधीर कुमार) एवं ज्ये0 क्र0–77 (श्रीमती सावित्री गिरी), की वरिष्ठता पर आपत्ति की गई है।
13	त0प0 वन प्रभाग, रामनगर	श्री राज कुमार	
14	त0पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी	श्री विजयं चन्द्र भट्ट	सीधी भर्ती के वन क्षेत्राधिकारियों के साथ पदोन्नत वन क्षेत्राधिकारियों को चक्रिय क्रम में वरिष्ठता दिये जाने पर आपत्ति की गई है।

(राजीव भरतरी)
प्रमुख वन संरक्षक, HoFF
उत्तराखण्ड देहरादून।